


# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## ::संशोधन-आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-2/इतिहास(म/पु)/डीपीसी-पदस्था/2015-16 दिनांक 17.03.2016 के आदेश सं० 01 के क्र०सं० 13 पर अकिंत श्रीमती अजय हाडा की पारिवारिक परिस्थितियों के कारण पदौन्नति पर कार्यग्रहण अवधि दिनांक 30.04.2016 तक बढ़ाई जाती है।

आदेश की शेष शर्तें पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगी।


  
(बी.एल.स्वर्णकार)

आईएस  
निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान बीकानेर  
दिनांक 26/4/16

क्रमांक : शिविरा-मा/संस्था/सी-2/संशोधन/2015-16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-


1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर ।
2. विशिष्ट सहायक, शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) ।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
6. सम्बन्धित संस्था प्रधान
7. सम्बन्धित कार्मिक
8. निजी/रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## ::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय में दिनांक 21.03.2016 से उपस्थिति दे रही श्रीमती विमला शर्मा व0अ0 राबामावि आश्रम छात्रावास - अलवर को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक :-शिविरा/मा/संस्था/सी-2/वाणिज्य(महिला)/डीपीसी पदस्थापन/2013-15 दिनांक 30.05.15 के अनुसरण में कार्यमुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपनी आगामी उपस्थिति राउमावि खेरथल-अलवर में व्याख्याता वाणिज्य के पद पर देवें। इन्होंने दिनांक 21.03.2016 से आदेश दिनांक तक इस कार्यालय में उपस्थिति दी।

  
(बी.एल.स्वर्णकार)

आईएसएस


निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान बीकानेर

दिनांक 26/4/16

क्रमांक : शिविरा-मा/संस्था/सी-2/एपीओ पदस्थापन/2015-16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर ।
2. विशिष्ट सहायक, शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) ।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
6. सम्बन्धित संस्था प्रधान
7. सम्बन्धित कार्मिक
8. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## ::संशोधन-आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-2/इतिहास(म/पु)/डीपीसी-पदस्थापन/2015-16 दिनांक 13.09.2015 के आदेश सं० 10 के क्र०सं० 296 पर अकिंत श्री हरदेवा राम प्र०अ० राउप्रावि बघाला की ढाणी -पीपराली-सीकर का पदौन्नति पर पदस्थापन रघुनाथपुरा - सीकर किया गया था सीकर जिले में रघुनाथपुरा नाम से विधालय नही होने के कारण इनका पदौन्नति पर पदस्थापन मण्डामदनी - सीकर संशोधित किया जाता है। पदौन्नति पर कार्यग्रहण अवधि दिनांक 30.04.2016 तक बढ़ाई जाती है।

आदेश की शेष शर्तें पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगी।

  
(बी.एल.स्वर्णकार)

आईएस


निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान बीकानेर

दिनांक 26/4/16

क्रमांक : शिविरा-मा/संस्था/सी-2/संशोधन/2015-16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर ।
2. विशिष्ट सहायक, शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) ।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ ।
6. सम्बन्धित संस्था प्रधान
7. सम्बन्धित कार्मिक
8. निजी/रक्षित पत्रावली




संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## ::संशोधन-आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-2/इतिहास(म/पु)/डीपीसी-पदस्थापन/2015-16 दिनांक 13.09.2015 के आदेश सं० 04 के क्र०सं० 92 पर अंकित श्री धर्मचन्द मीणा प्र०अ० राउप्रावि देवा - दौसा का पदोन्नति पर पदस्थापन आलूदा - दौसा किया गया था। उक्त आदेश में श्री मीणा का वर्तमान पदस्थापन स्थान राउप्रावि उरणा - भीलवाड़ा एवं पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान राउमावि भरणीकला - भीलवाड़ा संशोधित किया जाता है। इनकी कार्यग्रहण अवधि दिनांक 30.04.2016 तक बढ़ाई जाती है।

आदेश की शेष शर्तें पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेंगी।


  
(बी.एल.स्वर्णकार)

आईएस  
निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान बीकानेर  
दिनांक 26/4/16

क्रमांक : शिविरा-मा/संस्था/सी-2/संशोधन/2015-16

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
6. सम्बन्धित संस्था प्रधान
7. सम्बन्धित कार्मिक
8. निजी/रक्षित पत्रावली


  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

**:: कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ::**

**कार्यालय-आदेश**

निम्नांकित व्याख्याताओं के चिकित्सा प्रमाण पत्रों के आधार पर उनके नाम के सामने अंकित अवधि का असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियमों के नियम-96 के अन्तर्गत एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम कार्मिक पद मय कार्यरत स्थान	अवकाश अवधि	अवकाश दिनों की संख्या
01	श्रीमती मोनिका डामोर व्या० वाणिज्य, राउमावि ऋषभदेव, उदयपुर	09.10.14 से 10.10.14	02 दिन
		04.04.15	01 दिन
		01.05.15	01 दिन
		05.05.15	01 दिन
		11.05.15 से 13.05.15	03 दिन
		<b>योग</b>	<b>08 दिन</b>
02	श्रीमती संतोष मीणा व्या०, वाणिज्य, राउमावि नयागांव, उदयपुर	02.01.14	01 दिन
		01.01.15 से 03.01.15	03 दिन
		<b>योग</b>	<b>04 दिन</b>


  
(बी.एल.स्वर्णकार)  
आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान बीकानेर

दिनांक: 26/4/16

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/सी-2/वाणिज्य/स्थाई./2015/  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है-

1. संबंधित उपनिदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. संबंधित प्रधानाचार्य
4. संबंधित व्याख्याता
5. सिस्टम एनालिसिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को नेट पर लोड करने हेतु
6. रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

### -: आदेश :-

इस कार्यालय के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनोपरान्त दिनांक- 21.11.12, 16.01.13, 13.09.13, को प्राध्यापक(वाणिज्य) वेतन श्रृंखला-पीबी-2 ग्रेड-पे 4200/- के पद पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ-1(2)/डीओपी/ए-2/2005 दिनांक-20.01.2006 एवं एफ-12(6) एफ. डी (नियम)/05 दिनांक-13.03.2006 के अनुसारेण में दो वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत स्थिर मानदेय पर/विद्यमान वेतनमान में नियुक्त किये गये निम्न प्राध्यापक को कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की अवधि संतोषप्रद रूप से पूर्ण किये जाने पर राजस्थान सेवा नियम - 1951 के नियम 24 एवं राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2008 के नियम 22 एवं अनुसूची 5 में अंकित प्रावधानानुसार उनके नाम के सामने कॉलम सं-07 में अंकित दिनांक से नियमित वेतन श्रृंखला पीबी-2 (9300-34800 एवं ग्रेड पे 4800/-रु.) एवं देय नियमानुसार अन्य भत्ते आहरण करने की व नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है एवं साथ ही उक्त तिथि (कॉलम संख्या-7 में अंकित) से इनका प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पद पर स्थायीकरण किया जाता है :-

क्र० सं०	मेरिट क्र०	नाम प्राध्यापक	पदस्थापन स्थान राउमावि/राबाउमावि	जन्मतिथि	कार्यग्रहण तिथि	स्थाईकरण की तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	M-253 TSP, S.T. WE	कल्पना परमार व्या० वाणिज्य	चावण्ड (उदयपुर)	06.12.85	27.11.12	27.11.14
2	M-208 S.T. WE	गायत्री मीणा व्या० वाणिज्य	बस्ती (जयपुर)	05.04.88	29.11.12	29.11.14
3	M-71 GE	संजीव कुमार मदान व्या० वाणिज्य	राजियासर (श्रीगंगानगर)	03.08.80	22.11.12	22.11.14
4	M-17 GE WE	निधि गोयल व्या० वाणिज्य	रामगंज मण्डी (कोटा)	03.08.79	22.01.13	22.01.15

  
(बी.एल.स्वर्णकार)

आई.ए.एस


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 26/11/16

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/सी-2/इतिहास/वाणिज्य/स्थाई/15/  
प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 2 उपशासन सचिव-प्रथम, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 3 संबंधित उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग,
- 4 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक),
- 5 सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा
- 6 संबंधित संस्था प्रधानाचार्य
- 7 संबंधित प्राध्यापक अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन, कार्यालय हाजा।
- 8 निजी/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा-राजस्थान  
बीकानेर

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

### -: आदेश :-

इस कार्यालय के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनोपरान्त दिनांक- 13.09.13 को प्राध्यापक(इतिहास) वेतन श्रृंखला-पीबी-2 ग्रेड-पे 4800/- के पद पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ-1(2)/डीओपी/ए-2/2005 दिनांक-20.01.2006 एवं एफ-12(6) एफ डी (नियम)/05 दिनांक-13.03.2006 के अनुसारेण में दो वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत स्थिर मानदेय पर/विद्यमान वेतनमान में नियुक्त किये गये निम्न प्राध्यापक को कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की अवधि संतोषप्रद रूप से पूर्ण किये जाने पर राजस्थान सेवा नियम - 1951 के नियम 24 एवं राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2008 के नियम 22 एवं अनुसूची 5 में अंकित प्रावधानानुसार उनके नाम के सामने कॉलम सं-07 में अंकित दिनांक से नियमित वेतन श्रृंखला पीबी-2 (9300-34800 एवं ग्रेड पे 4800/-रु.) एवं देय नियमानुसार अन्य भत्ते आहरण करने की व नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है एवं साथ ही उक्त तिथि (कॉलम संख्या-7 में अंकित) से इनका प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पद पर स्थायीकरण किया जाता है :-

क्र० सं०	मेरिट क्र०	नाम प्राध्यापक	पदस्थापन स्थान राउमावि/राबाउमावि	जन्मतिथि	कार्यग्रहण तिथि	स्थाईकरण की तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	M-218B SC	राकेश वर्मा व्या० वाणिज्य	जार्होता (जयपुर)	08.08.88	18.09.13	18.09.15

(बी.एल.स्वर्णकार)

आई.ए.एस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 26/11/13

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/सी-2/इतिहास/वाणिज्य/स्थाई./15/  
प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 2 उपशासन सचिव-प्रथम, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 3 संबंधित उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग,
- 4 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक),
- 5 सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा
- 6 संबंधित संस्था प्रधानाचार्य
- 7 संबंधित प्राध्यापक अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन, कार्यालय हाजा।
- 8 निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा-राजस्थान  
बीकानेर

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

-: आदेश :-

इस कार्यालय के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से घयनोपरान्त दिनांक-16.01.13 को प्राध्यापक(वाणिज्य) वेतन श्रृंखला-पीबी-2 ग्रेड-पे 4800/- के पद पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ-1(2)/डीओपी/ए-2/2005 दिनांक-20.01.2006 एवं एफ-12(6) एफ डी (नियम)/05 दिनांक-13.03.2006 के अनुसारेण में दो वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत स्थिर मानदेय पर/विद्यमान वेतनमान में नियुक्त किये गये निम्न प्राध्यापक को कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की अवधि संतोषप्रद रूप से पूर्ण किये जाने पर राजस्थान सेवा नियम - 1951 के नियम 24 एवं राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2008 के नियम 22 एवं अनुसूची 5 में अंकित प्रावधानानुसार उनके नाम के सामने कॉलम सं-07 में अंकित दिनांक से नियमित वेतन श्रृंखला पीबी-2 (9300-34800 एवं ग्रेड पे 4800/-रु.) एवं देय नियमानुसार अन्य भत्ते आहरण करने की व नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है एवं साथ ही उक्त तिथि (कॉलम संख्या-7 में अंकित) से इनका प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पद पर स्थायीकरण किया जाता है :-

क्र. सं.	मेरिट क्र०	नाम प्राध्यापक (वाणिज्य)	पदस्थापन स्थान राउमावि/राबाउमावि	जन्मतिथि	कार्यग्रहण तिथि	स्थाईकरण की तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	एम-25/ सामान्य महिला	प्रकाश देवी	वैर (भतरपुर)	17.03.82	05.02.13	10.02.15 (अवैतनिक अवकाश के कारण 05 दिन बढ़ाया गया)


  
(बी.एल.स्वर्णकार)

आई.ए.एस  
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/सी-2/इतिहास/वाणिज्य/स्थाई./15/  
प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक: 26/1/13

- 1 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 2 उपशासन सचिव-प्रथम, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 3 संबंधित उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग,
- 4 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक),
- 5 सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा
- 6 संबंधित संस्था प्रधानाचार्य
- 7 संबंधित प्राध्यापक अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन, कार्यालय हाजा।
- 8 निजी/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा-राजस्थान  
बीकानेर



# कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7)/वित्त(नियम)/2008 दिनांक 12-09-2008 एवं आदेश संख्या एफ.11(7)/वित्त (नियम) पार्ट-1/2008 दिनांक 06-10-2008 के अनुसरण में राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित अधिकारियों (व्याख्याता) को राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के नियम-19 के तहत उनके नाम के आगे अंकित विवरण अनुसार एसीपी (आश्वासित केरियर प्रगति), कॉलम संख्या 8 के अनुसार ग्रेड वेतन, कॉलम संख्या 9 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया जाता है।

क सं.	नाम मय विषय व पदस्थापन स्थान सर्वश्री/सुश्री /श्रीमति (रा.उ.मा.वि.)	जन्मतिथि	व्याख्याता पद पर चयन का प्रकार	प्रथम नियुक्ति तिथि	स्वीकृत एसीपी I, II, III	वेतन ब्रेण्ड	स्वीकृत ग्रेड वेतन	स्वीकृत तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	शिव कुमारी व्या० इतिहास, दयानन्द मार्ग, बीकानेर	01.04.56	डीपीसी	01.07.83	III	9300-34800	5400	01.07.2013
2	सुनिता वर्गी व्या० इतिहास, बालेसर (जोधपुर)	09.01.75	सीधी भर्ती	10.02.04	I	9300-34800	5400	10.02.2014
3	मोहम्मद हबीब खान व्या० इतिहास, गनाहेड़ा (अजमेर)	03.07.84	आरवी आरईएस	01.07.95	II	15600-39100	6000	01.07.2015
4	राकेश कुमार शर्मा व्या० वाणिज्य अलसीसर (झुंझनू)	02.07.59	आरवी आरईएस	18.11.85	III	15600-39100	6800	18.11.2015
5	रतन सिंह शेखावत व्या० वाणिज्य चनाना (झुंझनू)	28.08.57	आरवी आरईएस	01.01.96	II	15600-39100	6000	01.01.2016

पुनरीक्षित वेतनमान नियम-2008 के तहत इनका वेतन सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति का इन्द्राज सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से अंकित किया जावे।

(बी.एल.स्वर्णकार)  
आईएसएस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान बीकानेर

दिनांक- 24/11/16

क्रमांक-शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/एसीपी/16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है:-

- 01 संबंधित उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
- 02 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-I/II)
- 03 सिरस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु
- 04 संबंधित प्रधानाचार्य,राउमावि,
- 05 संबंधित व्याख्याता
- 06 रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रारूप-6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

## सेवानिवृत्ति आदेश

निम्नांकित कार्मिक जो राज्य सेवा में कार्यरत हैं को अधिवार्षिक की आयु पूरी कर लेने पर (सेवानिवृत्ति की तारीख) से, सरकारी सेवा से कॉलम संख्या-5 की दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है।

क्र.सं	नाम व्याख्याता मय पदस्थापन स्थान सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती (राउमावि/राबाउमावि)	व्याख्याता विषय	जन्मतिथि	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवा निवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5
1	गोपाल किशन चोहान, व्या0 लालगढ़-चूरु	वाणिज्य	01.06.1956	31.05.2016
2	मोहन लाल-कुमावत, व्या0 अडकसर-नागौर	वाणिज्य	05.07.1956	31.07.2016
3	पूरणमल पारीक, व्या0 चौमूं-जयपुर	वाणिज्य	01.07.1956	30.06.2016
4	हेमन्त कुमार बोस, व्याय0 रावतभाटा-चित्तोड़गढ़	वाणिज्य	02.05.1956	31.05.2016
5	रमेश चन्द्र धनकड़, बासनी-नागौर	वाणिज्य	01.07.1956	30.06.2016
6	अहमद अली भाटी, व्या0 स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर	वाणिज्य	29.07.1956	31.07.2016
7	भूमेश कुमार, व्या0 कामा-भरतपुर	वाणिज्य	05.12.1956	31.12.2016
8	प्रेमशरण जे0 आचार्य, व्या0 बिजनगर-अजमेर	वाणिज्य	05.10.1956	31.10.2016
9	बाबूलाल गर्ग, व्या0 मोरखा-पाली	इतिहास	01.07.1956	30.06.2016
10	गुमानराम, व्या0 रजलानी-जोधपुर	इतिहास	15.03.1957	31.03.2017
11	हरीराम बिश्नोई, व्या0 बाला-जोधपुर	इतिहास	02.07.1956	31.07.2016
12	सत्यनारायण टेलर, व्या0 बिछोर-चित्तोड़गढ़	इतिहास	05.07.1956	31.07.2016
13	औम प्रकाश जोशी, व्या0 पारसोली-चित्तोड़गढ़	इतिहास	25.08.1956	31.08.2016
14	रतन प्रकाश कुलदीप, व्या0 करनू-नागौर	इतिहास	01.12.1956	30.11.2016
15	भागुराम, व्या0 नंगवाड़ा-नागौर	इतिहास	30.07.1956	31.07.2016
16	किशोरी लाल, व्या0 तेस्की - भरतपुर	इतिहास	02.10.1956	31.10.2016
17	रामवीर सिंह देशवाल, व्या0 सिनसिनी-भरतपुर	इतिहास	06.07.1956	31.07.2016
18	पुष्पा चन्देला, व्या0 रुंध इकरन-भरतपुर	इतिहास	04.02.1957	28.02.2017
19	शफी मोहम्मद, व्या0 चापानेरी-अजमेर	इतिहास	01.06.1956	31.05.2016
20	सोहन लाल शर्मा, व्या0 जोरवापुर-भीलवाड़ा	इतिहास	02.08.1956	31.08.2016
21	नरेन्द्र कुमार, व्या0 मेड़तासिटी-नागौर	इतिहास	07.07.1956	31.07.2016

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित के विरुद्ध आज तक-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(बी.एल.स्वर्णकार)


आईएएस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक - शिविरा-मा/संस्था/सी-2/31853/सेवानिवृति/2016  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक:- 26/4/16

- (1) संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग,
- (2) संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
- (3) सम्बन्धित उपनिदेशक(माध्यमिक) शिक्षा विभाग
- (4) सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)
- (5) सम्बन्धित प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याताओं से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है का दस रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र -6 प्राप्त कर अंतिम अर्दय प्रमाण पत्र जारी करें ।
- (6) संबंधित प्राध्यापक ।
- (7) रक्षित पत्रावली ।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)